भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं. बीएलएम/1/2013/एसजीजीआरजे/एटीओटीएच/आर.यू.-III

छठी मंजिल 'बी'विंग लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 28-12-2015

सेवा में,

1. सचिव,
गृह विभाग,
राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

2. पुलिस महानिदेशक,
राजस्थान सरकार,
पुलिस मुख्यालय,
जयपुर (राजस्थान)

विषयः अनुसूचित जनजाति के परिवार के साथ अत्याचार एवं उत्पीड़न के संबंध में श्रीमती गुड्डी देवी मीना पत्नी श्री बनवारीलाल, ग्राम–टहटडा थाना–रैणी, जिला–अलवर (राजस्थान) का अभ्यावेदन।

महोदय,

महोदय उपरोक्त विषयक आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.12.2015 की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया जाता है कि आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर द्वारा मामले पर चर्चा/सुनवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, अलवर को दिनांक 16.12.2015 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोग में बुलाया गया था किन्तु पुलिस अधीक्षक ने पत्र दिनांक 11.12. 2015 द्वारा सूचित किया कि उनको उक्त तिथि को माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर में किसी अन्य मामले में तलब होना है फलस्वरूप वह आयोग में उपस्थित होने में असमर्थ है।

आपको अवगत कराया जाता है कि पहले भी इस प्रकरण में चर्चा/सुनवाई हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (श्री विकास कुमार) जिला–अलवर को आयोग में कई बार बुलाया गया था किन्तु आयोग में कथित तिथियों को उनके उपस्थित न होने पर माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार तथा पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज (ग्रामीण) तथा पुलिस अधीक्षक, अलवर के साथ दिनांक 14.05. 2015 को आयोग में चर्चा एवं सुनवाई हेतु पुनः बैठक निश्चित की तद्नुसार आयोग की

→ क्रमशः –

ओर से एक विस्तृत पत्र दिनांक 27.04.2015 (छायाप्रति संलग्न) भेजा तथा पुलिस अधीक्षक को समन दिनांक 27.04.2015 जारी किया गया था। गृह विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 12.05.2015 के अवलोकन पर उक्त बैठक को स्थगित करते हुए माननीय उपाध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर के साथ अगली बैठक दिनांक 22.07.2015 को निर्धारित की गई किन्तु उक्त तिथि को भी पुलिस अधीक्षक, अलवर उपस्थित नहीं हुए फलस्वरूप माननीय उपाध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक को पुनः दिनांक 02.09.2015 को आयोग में बुलाया गया। उक्त तिथि को भी पुलिस अधीक्षक, अलवर आयोग में उपस्थित नहीं हुए जिस पर आयोग द्वारा उन्हें दिनांक 28.09.2015 को पुनः बुलाया गया। किन्तु उक्त तिथि को भी पुलिस अधीक्षक, उपस्थित नहीं हुए जिस पर आयोग द्वारा उन्हें पुनः दिनांक 16.12.2015 को प्रकरण पर चर्चा हेतु बुलाया गया लेकिन उक्त तिथि को भी वे आयोग में उपस्थित नहीं हुए जिसके परिणामस्वरूप आयोग के माननीय उपाध्यक्ष ने सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार के साथ **दिनांक 07.01.2016 को दोपहर 12:00 बजे** प्रकरण पर चर्चा/सुनवाई हेतु बैठक निश्चित की।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित दिनांक 07.01.2016 को प्रकरण पर चर्चा हेतु **वैयक्तिक तौर** पर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

एन. बालसुब्रमणियन

(एन.बालासुब्रमणियन)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. श्री कैलाश चन्द्र विश्नोई, जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर (राजस्थान)।
2. श्री बनवारी लाल मीना, पति श्रीमती गुड्डी देवी मीना, ग्राम–टहटडा, थाना–रैणी, जिला–अलवर (राजस्थान)।

Copy to:
SSA, NIC.